संख्या- 334 /2023 / 7178 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2023

विषय:- डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के संग्रहालय के आन्तरिक कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3235/सं0नि0-6(14) /2023-24, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के संग्रहालय के आन्तरिक कार्य कराये जाने हेतु रू0 495.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक रू0 185.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के संग्रहालय के आन्तरिक कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 310.86 लाख (रू0 तीन करोड़ दस लाख छियासी हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 176/2023/898/चार-2023 दिनांक 30 मार्च, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 211/2023/1463/चार-2023 दिनांक 29 मई, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियां सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(5) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला तथा संस्कृति -800- अन्य व्यय -09- भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 334 /2023 / 7178 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।